न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/235

1. सुन्दर बाई पत्नी छीतरलाल गोस्वामी
2. जितेन्द्र गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
3. तारकेश्वर गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी

निवासीगण–रंगेश्वर महादेव मंदिर के पास, सीमेन्ट गोदाम की गली, नेहरू नगर, रंगपुर रोड, कोटा जंक्शन कोटा राज0।

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राज0।

–रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री सुधीन्द्र यादव, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांक 15.01.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 78A/2021 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.06.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में खसरा नम्बर 186 रकबा 0.99 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट पूर्व खसरा नम्बर 152 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा राजस्व रिकार्ड मे दर्ज था, उक्त भूमि में मांग्या उर्फ मांगीलाल जी पुत्र चुन्नी गिरी का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है तथा वर्तमान में भी दर्ज है। वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी पुत्र धन्नालाल उर्फ नागा जी गोस्वामी के पक्ष में दिनांक 26.06.1990 को एक रजिस्ट्रर्ड वसीयतनामा स्वर्गीय श्रीमति धन्नी बाई द्वारा तहसील मांगरोल में आलेखित करवाया गया था, जो उप पंजीयक मांगरोल जिला बारां के यहां पंजीकृत है, जो वसीयत पंजीकृत की गई है, उसके द्वारा उक्त आराजी का हक एवं

अधिकार वादीगण के पिता व पति को दिया गया है, जो कि उक्त आराजी अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 186 रकबा 0.99 हैक्टर दर्ज है, जिसे धन्नी बाई द्वारा उक्त वसीयत के द्वारा वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी के नाम से दर्ज करवाई गई थी, उक्त वसीयत दिनांक 26.06.1990 को की गई है, उसके आधार पर वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय छीतर लाल गोस्वामी स्वर्गीय श्रीमति धन्नी बाई के वसीयती वारिस होने के कारण स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी के नाम दर्ज की जानी चाहिए थी परन्तु आज दिन तक भी उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी के नाम दर्ज नही की गई। स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल व स्वर्गीय धन्नी बाई दोनो आपस में सगे बहन भाई थे तथा जिसमें धन्नी बाई का भी काफी समय पूर्व देहान्त हो चुका है तथा मांग्या उर्फ मांगीलाल भी लाऔलाद धन्नी बाई के जीवनकाल मे ही कुंवारा फोत हो चुका है। स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल के फोत हो जाने के कारण उसकी उक्त सम्पत्ति कृषि आराजी खसरा नम्बर 186 रकबा 0.99 हैक्टर भूमि वाके ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल के स्थान पर उक्त भूमि की उत्तराधिकारी बनी तथा काबिज काश्त रही। परन्तु राजस्व अधिकारियो द्वारा जानबूझकर उसका नाम स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल के स्थान पर दर्ज नही किया गया। परन्तु स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल की कानूनन उत्तराधिकारी स्वर्गीय धन्नी बाई होने से उक्त भूमि पर स्वर्गीय धन्नी बाई को पूर्ण हक एवं अधिकार प्राप्त रहा है। इसी कारण से उसके द्वारा उक्त वसीयत उक्त भूमि के सम्बन्ध में वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी जी के पक्ष में आलेखित की है तथा उक्त वसीयत को आज तक भी किसी के द्वारा चेलेन्ज नहीं किया गया है और उक्त वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत होने से फर्जी होने का लेसमात्र भी अंदेशा नहीं है।राजस्व रिकार्ड में उक्त वसीयत के आधार पर आज तक भी कोई परिवर्तन नहीं किये जाने के कारण उक्त भूमि मांग्या उर्फ मांगीलाल के नाम से ही खाते दर्ज चली आ रही है और वादी के पिता व पति स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी जी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को उक्त वसीयत के आधार पर स्वयं के नाम दर्ज करवाने का प्रयास किया, परन्तु राजस्व अधिकारियो के लापरवाही के चलते उक्त भूमि वादीगण के पिता व पति स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी के खाते दर्ज नही हो सकी और दिनांक 03.03.2009 को छीतरलाल गोस्वामी जी का भी स्वर्गवास हो गया। इसके पश्चात् वादीगण ने भी काफी प्रयास किया, कि उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज की जावे, क्योकि वादीगण छीतरलाल गोस्वामी के वैध वारिस है, जो पत्नि व दो पुत्र है। काफी प्रयास करने के बावजूद भी वादीगण के खाते उक्त भूमि जो स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल के हिस्से की थी, वसीयत के आधार पर दर्ज नहीं किये जाने के कारण वादीगण को उक्त वाद के

माध्यम से उक्त भूमि को स्वयं के खाते दर्ज करवाने के लिए मजबूर होना पड रहा है इसलिए वादीगण के पक्ष में दावा स्वीकार कर उक्त भूमि को वादीगण के खाते दर्ज किया जाना आवश्यक है, क्योकि काफी वर्षों पूर्व से वादीगण का ही उक्त भूमि पर कब्जा चला आ रहा है तथा वादीगण के पूर्व स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी का उक्त भूमि पर कब्जा था तथा स्वर्गीय छीतरलाल गोस्वामी अपने जीवनकाल में उक्त भूमि को काश्त करते रहे है, उनके बाद वादीगण उक्त भूमि को काश्त कर रहे है तथा पहले स्वर्गीय धन्नी बाई मांग्या उर्फ मांगीलाल के देहान्त के बाद काश्त करती रही थी, स्वर्गीय मांग्या उर्फ मांगीलाल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी को किन्ही अन्य व्यक्तियो को रहन रख दिया था, परन्तु कब्जा कभी नहीं दिया था तथा स्वयं के जीवनकाल मे ही उक्त रहन राशि को उसके द्वारा अदा कर दिया गया था, परन्तु उसका भी नोट राजस्व रिकार्ड मे आज तक चला आ रहा है, जिसको भी हटाया जाना आवश्यक हैं। वादीगण द्वारा उक्त भूमि को स्वयं के खाते दर्ज करवाने के लिए कई बार तहसील लाडपुरा मे सम्पर्क किया गया तथा प्रार्थना पत्र भी दिये, परन्तु तहसील वालो द्वारा वादीगण के खाते दर्ज करने से स्पष्ट इंकार कर दिया, अंतिम बार दिनांक 29.10.2021 को निवेदन किया, परन्तु तहसील वालो द्वारा वादीगण के खाते दर्ज करने से इन्कार करने पर उक्त वाद का वाद कारण उत्पन्न हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती तथा स्थायी व्यादेश की डिक्री पारित की जावे कि राजस्व रिकार्ड में स्वर्गीय मांग्या उर्फ मागीलाल के 1/2 हिस्से के स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा मांग्या द्वारा रहन नामे का जो नोट राजस्व रिकार्ड में आ रहा है उसे भी हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त किया जावे व वादीगण को खातेदारी प्रदान की जावे। अन्य सहायता जो भी न्यायोचित हो वादी के पक्ष में प्रदान की जाये।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.06.2024 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.06.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि उक्त भूमि ग्राम अरण्डखेडा में गांग्या के खाते दर्ज रही, और वर्तमान में भी मांग्या के खाते दर्ज है। परन्तु मांग्या के फोत होने के पश्चात् उसके कोई वारिस ना होने के कारण एक मात्र धन्नी बाई ही उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस शेष बचती है, जिसको स्वतः ही अपने भाई के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि में अधिकार प्राप्त हो जाते है और उसकी उत्तराधिकारी बन जाती है। इसलिए उक्त धन्नी बाई द्वारा जो वैध वसीयत अपीलान्टगण के पिता व पति के नाम की है, उससे राजस्व रिकार्ड में अपीलान्टगण का नाम अंकित किया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने महज इस आधार पर कि खसरा नम्बर का उल्लेख नहीं है उक्त वाद को खारिज करने में भंयकर भूल कारित की है इस कारण उक्त आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि भले धन्नी बाई ने मांग्या की भूमि पर उसकी वारिस होते हुए भी इन्तकाल नहीं खुलवाया, तो इन्तकाल जो है वह सिर्फ लगान वसूली के लिए दर्ज किया जाता है। वैसे भी इन्तकाल की प्रोसेडिंग फिक्सल प्रोसेडिंग होती है, जिससे किसी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, बल्कि यदि कोई खातेदार है और उसका प्रथम श्रेणी का वारिस उसके बाद जिन्दा रहता है तो उनका उसकी सम्पत्ति मे स्वतः ही हित अर्जित हो जाता है तथा वह अधिकारी बन जाता है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो पर गौर नही कर उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का सही विवेचन नहीं किया, क्योकि जो वसीयत धन्नी बाई द्वारा अपीलान्टगण के पिता व पति के नाम की गयी है, वह एक रजिस्टर्ड वसीयत है, जिसको आज दिन तक किसी के द्वारा चैलेन्ज नहीं किया गया है । उक्त वसीयत में स्पष्ट रूप से धन्नी बाई द्वारा अपने भाई मांग्या की जमीन जो ग्राम अरण्डखेडा मे स्थित है, उसका यदि खसरा नम्बर नहीं भी लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पडता, क्योकि धन्नी बाई द्वारा मांग्या की हिस्से की सम्पत्ति यानि उपरोक्त कृषि भूमि को भी उक्त वसीयत के माध्यम से अपीलान्टगण के पिता व पति के नाम की गयी है। तथा ग्राम अरण्डखेडा में मांग्या के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं रही,

इस कारण से कानूनन उपधारणा यही की जाऐगी कि धन्नी बाई द्वारा जिस खसरा नम्बर की भूमि मांग्या के नाम दर्ज रही उसी खसरा नम्बर को वसीयत के द्वारा अपीलान्टगण के पिता व पति को दिया गया है, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय मात्र सरसरी तोर पर तथा विधि की भूल के कारण पारित किया है, जो हर हाल में निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। वादीगण अपीलांटगण ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं करवाया है। प्रश्नगत तथकथित वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 में वसीयत की गई भूमि के खसरा नम्बर व खाता संख्या का अंकन नहीं है जिससे यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि अपीलांटगण द्वारा वादपत्र मे अंकित की गई भूमि के सम्बंध में ही उक्त तथाकथित वसीयतनामा निष्पादित किया गया हो। अतः अपीलांटगण प्रश्नगत वाद एवं अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करने मे असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का आदेश विधि सम्मत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। वादीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा की प्रश्नगत खसरा नम्बर 186 रकबा 0.99 हैक्टेयर भूमि के सम्बंध में हक अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। अपीलांटगण का कथन है कि उनके पिता व पति छीतरलाल के पक्ष में खातेदार धन्नीबाई द्वारा वादग्रस्त भूमि की दिनांक 26.06.1990 को रजिस्टर्ड वसीयत की गई । प्रश्नगत रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 के आधार पर अपीलांटगण वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। हमने प्रश्नगत पंजीकृत वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 का अवलोकन

किया। उक्त वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 में धन्नी बाई बेवा नेनगीलाल द्वारा अपने सगे भाई मांगीलाल के 1/2 हिस्से व खाते की भूमि वाके ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा की भूमि को छीतरलाल पुत्र धन्नालाल के पक्ष में वसीयत किए जाने का अंतरण है। यहां यह उल्लेखनीय है कि धन्नी बाई द्वारा निष्पादित वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 में वसीयत की गई भूमि का खसरा नम्बर एवं रकबा आदि का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही वसीयतकर्ता धन्नीबाई द्वारा उक्त वसीयतनामें में स्वयं के द्वारा यह कथन अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि उसके भाई मांगीलाल के शामलाती खाते की भूमि है जिसमें मांगीलाल का 1/2 हिस्सा निहित है। वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 के अवलोकन से धन्नी बाई द्वारा अपने भाई मांगीलाल के हिस्से व खाते में दर्ज भूमि की वसीयत किया जाना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2031 से 2034 एवं सम्वत् 2025 से 2028 में धन्नी बाई का नाम खातेदार के रूप में अंकित नहीं है। जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 में भी धन्नी बाई खातेदार नहीं है। अतः वसीयतनामा निष्पादित किए जाने की दिनांक 26.06.1990 को वादग्रस्त भूमि धन्नी बाई के खाते दर्ज नहीं थी तथा स्वयं धन्नी बाई द्वारा भी वसीयत की गई प्रश्नगत भूमि अपने भाई मांगीलाल के खाते दर्ज होने का उल्लेख वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 में किया गया है। चूंकि प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 में वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बरान एवं खाता संख्या का उल्लेख नहीं है जिससे यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है कि धन्नी बाई द्वारा प्रश्नगत वसीयत वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में ही निष्पादित की गई हो। साथ ही वसीयतनामा की दिनांक 26.06.1990 को वसीयत की गई भूमि वसीयतकर्ता धन्नी बाई के खाते दर्ज नहीं होने के कारण धन्नी बाई को वसीयत करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः हमारे मत में वादीगण अपीलांटगण प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 के आधार पर वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। यदि अपीलांटगण प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 के आधार पर वादग्रस्त भूमि में स्वयं के हक अधिकार निहित होना मानते है तो अपीलांटगण वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 के आधार पर सक्षम सिविल न्यायालय में विधिक प्रकिया के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत करके वांछित अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। वर्तमान स्तर पर अपीलांटगण को वसीयतनामा दिनांक 26.06.1990 के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है उससे हम सहमत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 विधि सम्मत है तथा इमसें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अपीलांटगण प्रश्नगत अपील एवं वाद में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहे है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 78A/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15.1.25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024 / 235

1. सुन्दर बाई पत्नी छीतरलाल गोस्वामी
2. जितेन्द्र गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
3. तारकेश्वर गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
   निवासीगण–रंगेश्वर महादेव मंदिर के पास, सीमेन्ट गोदाम की गली, नेहरू नगर, रंगपुर रोड, कोटा जंक्शन कोटा राज0।

– अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा, जिला कोटा राज0।

–रैस्पोडेन्ट

वादपत्र संख्या: 78A / 2021

1. सुन्दर बाई पत्नी छीतरलाल गोस्वामी
2. जितेन्द्र गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
3. तारकेश्वर गोस्वामी पुत्र छीतरलाल गोस्वामी
   निवासीगण–रंगेश्वर महादेव मंदिर के पास, सीमेन्ट गोदाम की गली, नेहरू नगर, रंगपुर रोड, कोटा जंक्शन कोटा राज0।

––वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 78A/2021 में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 24.06.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 15.01.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री सुधीन्द्र यादव तथा रेस्पोडेन्ट की ओर से विद्वान पैरोकार सरकार के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.06.2024 यथावत रखा जाता है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 15.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

15/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा